'अधिकारों के बारे में लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है : टी.सी. गुप्ता'

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता मंच से पोर्टल के बारे में जानकारी देते व एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित अधिकारीगण। (छायांकन)

अम्बाला छावनी, 7 सितम्बर (जतिन) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि अंत्योदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता के साथ-साथ पब्लिक की संतुष्टि के साथ उपलब्ध करवाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। जुर्माना लगाना आयोग का उद्देश्य नहीं है बल्कि सुगमता से लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। टी.सी.गुप्ता एस.डी. कालेज अम्बाला छावनी में हरियाणा सेवा का अधिकार बैठक एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि अपने सम्बोधन में बोल रहे थे। मुख्य आयुक्त टी.सी.गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि वर्ष 2014 में आयोग की स्थापना की गई थी और उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद तीन महीने पहले ही आयोग में बतौर मुख्य आयुक्त के तौर पर कमान सम्भाली है। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं के साथ-साथ अधिकारों के बारे में लोगों में सतर्कता एवं जागरूकता लाना, इसके दृष्टिगत उन्हें अवगत करवाकर लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिले इसके [illegible]। इस मौके पर आयोग की सचिव मीनाक्षी राज, डी.सी.विक्रम सिंह, एस.एस.पी हामिद अख्तर, ए.डी.सी सचिन गुप्ता, एस.डी.एम हितेष मीणा, एस.डी.एम नीरज कुमार, एस.डी.एम गिरीश चावला, नगराधीश आंचल भास्कर, आर.टी.ए गौरी मिड्ढा, जी.एम रोडवेज मुनीष सहगल, डी.टी.पी सविता जिंदल, डी.आई.पी.आर.ओ. धर्मवीर सिंह, डी.एस.पी राम कुमार, डी.डी.पी.ओ. रेणु जैन के साथ-साथ विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

पोर्टल पर 277 सेवाएं है उपलब्ध

उन्होंने कहा कि अंत्योदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित 546 अधिसूचित सेवाएं हैं जिनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। सरकारी सेवाओं का जहां हमें समय रहते सम्बन्धित प्रार्थी को लाभ दिलवाना है। वहीं इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि रिजैक्शन स्कोर में बढ़ौतरी न हो। जिन सेवाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। उसमें पब्लिक संतुष्टि स्कोर कितना है इस बात पर भी फोकस करना है। उपस्थित लोगों एवं अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ और सुगमता से मिले। इसके दृष्टिगत एक सितम्बर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चण्डीगढ़ से [illegible] ऑटो अपील [illegible] की शुरुआत करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रार्थी द्वारा यदि अंत्योदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या आती है तो ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी अपील दायर हो जाएगी। निर्धारित मापदंडों एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए उसकी शिकायत का निवारण होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण में शिकायत पर अपील पर फर्स्ट ग्रिवेंसिस अथोरिटी अपना कार्य करेगी, जिसके लिए समय सीमा तय होगी और उसके बाद अगले चरण के तहत ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आगामी कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि वे कई विभागों में काम कर चुके हैं और काम करने की शैली को भली-भांति जानते हैं। जिनकी रिजैक्शन अधिक है उनके स्वयं मूल्यांकन करने की जरूरत है। लापरवाह अधिकारी सरकार की छवि को खराब करते हैं, उन्हें सही तरीके से काम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि काम करने की बाद आत्म संतोष की अनुभूति तो होती ही है साथ ही जिनका काम होता है वे भी किए गये कार्यों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने जिला के अधिकतर विभागों के अधिकारियों के साथ अधिसूचित सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के दृष्टिगत खुलकर संवाद किया और कईयों की कार्यशैली को देखकर [illegible] भी की। ऐसे अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई जिनका काम अच्छा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जिला के उच्च अधिकारियों का काम केवल फाईलें देखना ही नहीं बल्कि लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली को सुधारने की ओर भी ध्यान देना है। उन्होंने यह भी कहा कि कमीशन सात साल से चल रहा है, अब आठवां साल चल रहा है लेकिन सात साल में केवल सात ही अपील आई है। लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है।

शिकायत के निवारण में देरी करने में 3 बार जुर्माना लगाने का है प्रावधान :

गुप्ता ने बताया कि यदि आयोग द्वारा किसी अधिकारी एवं कर्मचारी पर सम्बन्धित शिकायत के निवारण में देरी करने से तीन बार जुर्माना लगाया जाता है तो आयोग उस अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाई करने के दृष्टिगत उसे सेवामुक्त करने की सिफारिश भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि सेवाओं से सम्बन्धित यदि किसी भी विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रार्थी को आवेदन करने के बाद जो एक्नोलजमेंट दी जाती है उस पर यह भी सुनिश्चित करें कि प्रार्थी की सम्बन्धित शिकायत का निपटान कितने समय में होगा। जिला प्रशासन इसके लिए आगे आकर व्यवस्था करे। एस.डी. कालेज गेट के मुख्य द्वार पर सरकार की सेवा का अधिकार की अधिसूचित जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फोटो के साथ लगी हुई थी और लोग उसे रूचि लेकर पढ़ रहे थे। गुप्ता ने यह भी बताया कि आयोग द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ पब्लिक की संतुष्टि के साथ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता से दिलवाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी देने का काम किया जायेगा और जिस अधिकारी एवं कर्मचारी की इस कार्य में लापरवाही नजर आती है उसे [illegible] पत्र देने का काम किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से दिलवाना सुनिश्चित करें। आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने भी एक दिवसी कार्यशाला के दौरान प्रैजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न विभागों की गतिविधियों एवं उनके द्वारा दी जा रही है सेवाओं के बारे में समीक्षा की और उन्हें इन कार्यों में तेजी लाने बारे आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। संवाद और समीक्षा बैठक में आम जनता ने भी अपने सुझाव दिए, साथ ही अधिसूचित सेवाओं की जानकारी को लेकर आयुक्त सेवा का अधिकार के कार्य की प्रशंसा भी की। मनो [illegible] गोयल, राजकुमार, दीपक आनन्द, देशबंधु मेहता, केहर सिंह राणा, हरमेश पाल, साहब सिंह, अवतार सिंह तथा रामबाबू ने भी अपने सुझाव दिए। यहां पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से डी.सी. विक्रम सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनन्दन किया। इस मौके पर आयोग की सचिव मीनाक्षी राज भी उपस्थित रही।